बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

संचिका संख्या–01 / स्था०क्षे०–337 / 2025 2153 पटना, दिनांक 07 नवम्बर, 2026

कार्यालय आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–1380 दिनांक–02.09.2025 के क्रम संख्या–15 द्वारा मो० शाह रजा हुसैन को संविदा के आधार पर ईख प्रसार पदाधिकारी के रिक्त पदों के विरूद्ध सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा के कार्यालय में नियोजन किया गया। उक्त कार्यालय आदेश की कंडिका–03 के अन्तर्गत संविदा नियोजित कर्मियों के संबंध में किसी प्रकार के आरोप की सूचना प्राप्त होने की स्थिति में नियोजन रद्द करने दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

पश्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत पुरैना गाँव के किसान श्री वर्मा यादव द्वारा मुख्यमंत्री गन्ना यांत्रिकरण योजना के तहत एक ट्रैक्टर (40HP) के सत्यापन के क्रम में अनुदान दिलाने के नाम पर मो० शाह रजा हुसैन, ईख प्रसार पदाधिकारी (संविदा) कार्यालय– सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा के विरूद्ध पाँच हजार रूपया रिश्वत लेने का शिकायत सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा से किया गया।

सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा का पत्रांक–729 दिनांक–23.10.2026 के द्वारा मो० शाह रजा हुसैन, संविदा ईख प्रसार पदाधिकारी, कार्यालय–सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा से स्पष्टीकरण की मांग की गई। मो० शाह रजा हुसैन, संविदा ईख प्रसार पदाधिकारी द्वारा अपना स्पष्टीकरण सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा को समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया की कृषि यंत्रों के सत्यापन में किसी कृषक से पैसे की मांग नहीं की गई है और न ही किसी से पैसे लिया गया है।

सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा का पत्रांक–735 दिनांक–24.10.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पूर्व में भी मो० हुसैन के द्वारा अपने पूर्व पद (बी०डी०ओ०) की हैसियत का धौंस देकर अपने अधीनस्थ जनसेवकों को प्रताड़ित किया गया था, जिस कारण विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–1129 दिनांक–16.06.2026 के द्वारा मो० शाह रजा हुसैन, संविदा ईख प्रसार पदाधिकारी, कार्यालय–सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा को भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होने के चेतावनी के साथ स्पष्टीकरण से मुक्त किया गया था। "वर्तमान परिपेक्ष्य में सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा द्वारा मो० शाह रजा हुसैन, संविदा ईख प्रसार पदाधिकारी के कार्यकलाप के संबंध में गंभीर प्रतिकूल टिप्पणी यथा–लाभूक किसानों से अनुचित

P.T.O.

Rajesh Ji Letter

ढंग से रिश्वत लेने, स्वेच्छाचारिता एवं लापरवाही बरतने, विभाग को बदनाम करने तथा महत्वकांक्षी योजनाओं की गति धीमा करने आदि का उल्लेख करते हुए उन्हें संविदा सेवा से मुक्त करने की अनुशंसा किया गया है।"

उपर्युक्त वर्णित परिपेक्ष्य में विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–1380 दिनांक–02.09.2025 के कंडिका–03 के अन्तर्गत निहित प्रावधान, विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–1129 दिनांक–16.06.2026 तथा सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा का पत्रांक–735 दिनांक–24.10.2026 द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरान्त मो० शाह रजा हुसैन, संविदा ईख प्रसार पदाधिकारी, कार्यालय–सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा का तत्काल प्रभाव से संविदा नियोजन रद्द किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

06.11.2026

(नवनीत कुमार दूबे)
अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या–01/स्था०क्षे०–337/2025 2143 **पटना, दिनांक** 09 **नवम्बर, 2026**

प्रतिलिपि–सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा/मो० शाह रजा हुसैन, संविदा ईख प्रसार पदाधिकारी, कार्यालय–सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा/अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06.11.2026

अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या–01/स्था०क्षे०–337/2025 2143 **पटना, दिनांक** 09 **नवम्बर, 2026**

प्रतिलिपि–आई०टी० प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06.11.2026

अवर सचिव।

Rajesh Ji Letter